कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771–4014158 फैक्स नं. 0771–4066205

क्रमांक 1742/मुकाअ/चिप्स/2022 रायपुर, दिनांक 27/07/2022

प्रति,

उपनिदेशक,
एलिफेंट रिवर्ज अंबिकापुर
(छत्तीसगढ़).

विषय : विषयांतर्गत सुरजपुर जिले के एलिफेंट रिवर्ज अंबिकापुर अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु Chhattishgarh Infotech Promotion Society द्वारा "Forest land required for Optical Fibre Cable Laying works under BharatNet project which is a GOI initiative- Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPs & 85 Blocks through optical fibre cable laying of approximately 32,466 KM. The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State", area 1.462 ha regarding.

संदर्भ : 1 आप का पत्र क्र. 1620/मा.चि./2022/ दिनांक 05/07/2022।
2. वन संरक्षक (वन्य प्राणी) एवं क्षेत्रीय संचालक (एलिफेंट रिजर्व), सरगुजा का पत्र क्र./मा.चि./899 दिनांक 26/04/2022।
3. अ.प्र.मु.व.सं. नया रायपुर का पत्र क्रमांक/भू प्रबंध/विविध–1ए/115–852/599, दिनांक 22/03/2022।
4. सचिव वाणिज्य, उद्योग एवं वन विभाग छत्तीसगढ़ शासन का अर्ध शासकीय पत्र दिनांक 13/04/2022।

— 00 —

विषयांतर्गत भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना ''भारतनेट प्रोजेक्ट फेस –2'' के सफल कियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा एलिफेंट रिवर्ज अंबिकापुर अन्तर्गत ग्राम पंचायत के मार्ग समानांतर कुल वनभूमि 1.462 हे. पर भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्तुत प्रस्ताव में छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा 7 बिन्दुओ में अतिरिक्त जानकारी चाही गई है जिनका पुनरीक्षित बिन्दुवार विवरण निम्नानुसार है :–

Ø-	चाही गई जानकारियां	जानकारियों की पूर्ति
1	विषयांकित प्रस्ताव में वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना मय डी.जी.पी.एस. सहित तथा शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) जमा किये जाने हेतु आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न नहीं है।	कृपया संदर्भित पत्र क्र. 4 का अवलोकन हो जिसमे लीनियर प्रकरण होने एवं वृक्ष विदोहन नहीं होने के कारण वैकल्पिक वृक्षारोपण (CA) एवं शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) की राशि भुगतान हेतु छुट दिए जाने के सम्बन्ध में सचिव वाणिज्य, उद्योग एवं वन विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महा निरीक्षक, भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को पत्र प्रेषित किया गया है जहाँ अभी प्रकरण विचाराधीन है। तथापि आवेदक संस्थान की ओर से यह आश्वासन दिया जा रहा है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अथवा छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण (CA) एवं शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) की राशि जमा करने हेतु जो भी दिशानिर्देश जारी किया जावेगा वह आवेदक संस्थान को मान्य होगा। तत्सम्बंध में वचन पत्र (प्रमाण पत्र) संलग्न किया जा रहा है। **(संलग्नक – 1)**
2	प्रदायित प्रपत्र–4 के बिंदु क्र. 4 (vi) अनुसार आवेदित क्षेत्र एलिफेंट रिवर्ज अंबिकापुर के भीतर स्थित है साथ ही प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) की विशेष टीप संलग्न है लेख किया गया है किन्तु प्रस्ताव में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) की विशेष टीप संलग्न नहीं है।	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) की विशेष टीप सम्बंधित कार्यालय द्वारा संलग्न किया जाना है।

3	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रलय, नई दिल्ली के दिशा निर्देश क्र. 5–2/2017–FC. दिनांक 28.03.2019 के साथ प्रेषित दिशा निर्देश के चैप्टर 12 के बिंदु क्रमांक 12.3 अनुसार वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत् अधिसूचित वन क्षेत्र में आप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने संबंधी गैर वानिकी कार्य की अनुमति हेतु राज्य वन्यजीव बोर्ड से दी जा सकती है। परंतु सामानांतर रूप से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् अनुमति भी लिया जाना अनिवार्य है। विषयांकित प्रस्ताव में राज्य वन्यजीव बोर्ड से अनुमति हेतु निर्धारित Part-I से Part-IV तक के निर्धारित प्रपत्र में आवेदन दिया जाना है किंतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् अनुमति हेतु भारत सरकार द्वारा Forest Conservation Rule 2017 के Form A के Part-I से Part-IV तक में आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में संलग्न नहीं है।	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् अनुमति हेतु भारत सरकार द्वारा Forest Conservation Rule 2017 के Form A के Part-I से Part-IV तक में आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर पांच प्रतियों में संलग्न किया जा रहा है। **(संलग्नक – 2 से 5)**
4	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) द्वारा प्रदायित Part-IV में Official Seal, Date of Submission दर्ज किया जावे तथा प्रस्ताव के Part-III के बिंदु क्र. 1,2,3,7 तथा 8 में जानकारी दिया जाना है।	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) द्वारा प्रदायित Part-IV मे जानकारी सम्बंधित कार्यालय द्वारा दिया जाना है।
5	निर्धारित प्रपत्र में संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुमोदन दिया गया है। इसमें प्रपत्र–4 के बिंदु क्र. 8 में यह प्रस्ताव राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक दिनांक 21.06 2021 में निर्णय लिया जाना लिखा है। उक्त बैठक में लिये गये निर्णय की प्रति प्रस्ताव में संलग्न नहीं है।	आवेदक संस्थान इस बात से सहमत है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमोदन दिया जाना है। छत्तीसगढ राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक दिनांक 21/06/2021 में लिये गये निर्णय की प्रति प्रस्ताव में संलग्न किया जा रहा है। **(संलग्नक – 6)**
6	प्रस्ताव के प्रपत्र–4 के बिंदु के 4 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) द्वारा Site Inspection संबंधी जानकारी दिया जाना है।	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) द्वारा Site Inspection संबंधी जानकारी सम्बंधित कार्यालय द्वारा दिया जाना है।

7	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रलय, नई दिल्ली के दिशा निर्देश क्रमांक 6-175/2017/WL दिनांक 19.02.2018 के शर्त क्र. 9 अनुसार राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिये गये हैं:– The State Board for Wildlife shall also suggest the time frame for completing of work on laying of drinking water pipeline and optical fiber cables within the Pas after taking into account the factors/issues involves in the work; उक्त निर्देशानुसार विषयांकित कार्य संपन्न किये जाने हेतु आवेदक संस्थान बाबत समय–सीमा का निर्धारण राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा किया गया हो तो उसका उल्लेख प्रस्ताव में किया जाये।	छत्तीसगढ राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक दिनांक 21/06/2021 में लिये गये निर्णय अनुसार विषयांकित कार्य संपन्न किये जाने हेतु आवेदक संस्थान बाबत समय–सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है।

छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा 7 बिन्दुओ में चाही गई अतिरिक्त जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है अतः निवेदन है कि प्रकरण पर अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

क्रमांक 1742/A/समुकाअ/चिप्स/2022 रायपुर, दिनांक 27/07/2022

प्रतिलिपि :–

1 अवर सचिव छत्तीसगढ़ शाशन इ.सु.प्रौ. विभाग की ओर सूचनार्थ।
2 राज्य प्रमुख व सी.जी.एम. बी बी एन एल. रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश के सम्बन्ध में ।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर, सिविल लाईन्स, रायपुर (छ.ग.)
CHiPS
State Data Center Civil Lines Raipur (C.G.)
Chhattisgarh Infotech Promotion Society

कार्यालय चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन नं. 0771–4014158 फैक्स नं. 0771–4066205

वैकल्पिक वृक्षारोपण (CA) एवं शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) की राशि जमा करने हेतु वचन पत्र (प्रमाण पत्र)

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना "भारतनेट प्रोजेक्ट फेस–2" के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा सुरजपुर जिले के एलिफेंट रिवर्ज अंबिकापुर के अधीनस्थ वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोजन भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव हेतु प्रभावित कुल वनभूमि 1.462 हे. में केबल बिछाने के कार्य में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अथवा छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अथवा बी. बी. एन. एल. दूरसंचार विभाग द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण (CA) एवं शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) की राशि जमा करने हेतु जो भी दिशानिर्देश जारी किया जावेगा वह आवेदक संस्थान को मान्य होगा।

दिनांक :
स्थान : रायपुर (छत्तीसगढ़)

हस्ताक्षर

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर, सिविल लाईन्स, रायपुर (छ.ग.)
CHiPS
State Data Center Civil Lines Raipur (C.G.)
Chhattisgarh Infotech Promotion Society

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग–1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिये)

1 <u>परियोजना विवरण</u> :–

i. **अपेक्षित वनभूमि के लिये प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।**

भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना ''भारतनेट प्रोजेक्ट फेस – 2'' के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा सूरजपुर जिला के तमोर पिंगला अभ्यारण्य अंतर्गत एलिफेंट रिवर्ज अंबिकापुर के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट–ऑफ–वे के अन्तर्गत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित कुल वनभूमि रकबा 1.462 हे. की आवश्यकता है। उपरोक्त केबल रूट की 0.50 मीटर चौड़ाई पर 1.65 मीटर की गहराई पर भूमिगत केबल बिछाने का कार्य किया जाना हैं।

ii. **1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनो की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।**

संलग्न है।

iii. **परियोजना की लागत।**

3 करोड़ 23 लाख

iv. वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।

सूरजपुर जिला के तमोर पिंगला अभ्यारण्य अंतर्गत एलिफेंट रिवर्ज अंबिकापुर के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने से समस्त ग्राम पंचायत डिजिटलीकृत हो जायेंगे जिससे ग्राम वासियों के पंचायत सम्बंधित कार्य त्वरित गति से तथा सुचारू रूप से सम्पादित होंगे।

v. **लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिये)**

आवश्यकता नही है।

vi. **रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।**

आवश्यकता अनुसार ।

छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर, सिविल लाईन्स, रायपुर (छ.ग.)
CHiPS
State Data Center Civil Lines, Raipur (C.G.)
Chhattisgarh Infotech Promotion Society

2 कुल अपेक्षित भूमि उद्देश्यवार विवरण।

सूरजपुर जिला के तमोर पिंगला अभ्यारण्य अंतर्गत एलिफेंट रिवर्ज अंबिकापुर अंतर्गत

आरक्षित वन	–	0.431 हें.
संरक्षित वन	–	0.992 हें.
राजस्व वन	–	0.039 हें.
कुल वनभूमि रकबा	–	**1.462 हे.**

3 परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है।

नही है।

i. परिवार की संख्या।

निरंक

ii. अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या।

निरंक

iii. पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिये)

नही है।

4 क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है ? (हां/नही)

नही है।

5 प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)

संलग्न है।

6 निर्देशो के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजो का ब्यौरा।

चेकलिस्ट अनुसार सभी दस्तावेज संलग्न है।

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स
स्टेट डाटा सेंटर, सिविल लाईन्स, रायपुर (छ.ग.)
CHiPS
State Data Center Civil Lines, Raipur (C.G.)
Chhattisgarh Infotech Promotion Society

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग – 2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या –...

1.	परियोजना /स्कीम का स्थान	''भारतनेट प्रोजेक्ट फेस – I I''
(i)	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ
(ii)	जिला	सूरजपुर
(iii)	वन प्रभाग	तमोर पिंगला अभ्यारण्य अंतर्गत एलिफेंट रिवर्ज अंबिकापुर
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर)	1.462 (हेक्टेयर)
(v)	वन कानूनी स्थिति	संरक्षित, आरक्षित, राजस्व वन वन भूमि
(vi)	हरियाली का घनत्व	0.4 – 0.6
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिचांई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ॰आर॰एल॰,एफ॰ एफ॰ आर॰ एल॰–2 मी॰ पर परिगणना और एफ॰ आर॰एल॰ 4 मी॰ भी संलग्न किये जाये।	आवश्यकता नही है।
(viii)	भूक्षरण के लिये वनक्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	मृदा क्षरण की संभावना नही है अतः उक्त भूमि परियोजना हेतु दिया जा सकता है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी।	प्रस्तावित योजना में 4जी भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने वनक्षेत्र से होकर गुजरती है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाये)	सूरजपुर जिला के तमोर पिंगला अभ्यारण्य अंतर्गत एलिफेंट रिवर्ज अंबिकापुर में स्थित है। इसमें शामिल क्षेत्र का ब्यौरा और मुख्य वन जीव वार्डन की विशिष्ट टिप्पणियां सम्बंधित कार्यालय द्वारा संलग्न किया जावेगा ।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्रणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं हैं।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरात्तवीय/ पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां	नहीं हैं।

	तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	
2.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग –1 कालम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नही तो, जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दे।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग – 1 कॉलम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की मॉग न्युनतम एवं आवश्यक हैं।
3.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नही) यदि हां तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहें है।	नहीं ।
4.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
	(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या प्रत्येक भू–खण्ड का आकार	
	(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर /अवक्रमित वनक्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप	
	(iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यन्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढॉचा आदि	
	(iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय	
	(v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्रा की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्रा (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाये)	
5.	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिर्पोट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें)	आवश्यकता नही है।

6.	विभाग / जिला प्रोफाईल	
	(i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र	278676.00हेक्टयर
	(ii) जिले का वन क्षेत्र	60852.73 हेक्टयर
	(iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	0 प्रकरण 0 हेक्टयर
	(iv) 1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरकः **(क)** दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि। **(ख)** वनेत्तर भूमि पर	0 प्रकरण 0 हेक्टयर
	(v) वर्ष 2019–2020 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति : **(क)** वन भूमि। **(ख)** वनेत्तर भूमि पर।	0 हेक्टयर 0 हेक्टयर
7.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	सूरजपुर जिला के तमोर पिंगला अभ्यारण्य अंतर्गत एलिफेंट रिवर्ज अंबिकापुर के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों को ब्लाक मुख्यालय से जोड़ने से समस्त ग्राम पंचायत डिजिटलीकृत हो जायेंगे जिससे ग्राम वासियों के पंचायत सम्बंधित कार्य त्वरित गति से तथा सुचारू रूप से सम्पादित होंगे। भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना ''भारतनेट प्रोजेक्ट फेस–2'' के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स), रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा एलिफेंट रिवर्ज अंबिकापुर क्षेत्रांतर्गत अन्तर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वनभूमि रकबा 1.462 हे. के व्यपवर्तन हेतु अनुशंसा की जाती है।

दिनांक :–
स्थान :–

उपनिदेशक
एलीफेंट रिजर्व सरगुजा
अम्बिकापुर

भाग III

(संबंधित मुख्य वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

1	स्थल जहॉ की वन भूमि शामिल है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हॉ/नही) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारिख और किये गये प्रक्षेणों को,निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें ।	:–
2	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत हैं ।	:–
3	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें ।	:–

तिथि :–
स्थान :– अम्बिकापुर

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वन वृत्त,
अम्बिकापुर (छत्तीसगढ़)

भाग –IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

1 टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। :–

(राय देतें समय, संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाये और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये।)

तिथि :–
स्थान :– नया रायपुर (छत्तीसगढ़)

अपर प्रधान मुख्य संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी
(भू–प्रबंध / व.स.अ.)
नया रायपुर (छत्तीसगढ़)

कार्यालय
वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्रीय संचालक (एलीफेण्ट रिजर्व),
सरगुजा, अम्बिकापुर
Tel & Fax no- 07774-241055 Email address- cfwlsarguja@gmail.com

क्रमांक /भा.ने./माचि./21–22/ 899 अम्बिकापुर, दिनांक 26/4/2022

प्रति

उपनिदेशक एलीफेंट रिजर्व
सरगुजा अम्बिकापुर
(छ0ग0)

विषय :– विषयांतर्गत सूरजपुर जिले के एलीफेंट रिजर्व सरगुजा वनमंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियिम के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु **Chhattisgarh Infoech Promotion Society** द्वारा **"Forfest Land required for Optical fiver cable Laying works under " Bharat Net Project witchj is a GOI initiative. Under this project, Connectivity will be provided at 5,987 GPs & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466 KM. The laying of Optical cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the state.", area-1.462 ha.-regarding** बावत्।

सन्दर्भ :– 1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यप्राणी) छ.ग. रायपुर का पत्र क्रमांक/व.प्रा./प्रबंध–511/1331 दिनांक 01.04.2022

2. मुख्य वनसंरक्षक सरगुजा वन वृत्त का पत्र क्र/माचि./न.क्र. 04/3499/ दि. 19.04.2022

3. आपका पत्र क्रमांक/629/मा.चि./2022/दिनांक 08.02.2022

——00——

विषयांतर्गत लेख है, संदर्भित पत्र क्रमांक 01 एवं 02 द्वारा उक्त प्रस्ताव में जानकारी पूर्ण कर प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया है। आपके द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक 03 द्वारा पूर्व की त्रुटियों/आपत्तियों का निराकरण कर इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है परंतु संदर्भित पत्र क्र.01 द्वारा अतिरिक्त जानकारी भी पूर्ण करने हेतु लेख किया गया है।

तदनुसार उक्त प्रस्ताव मूलतः संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि छ.ग. शासन के उपरोक्त दिये गये गये निर्देशानुसार जानकारियाँ पूर्ण कर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ताकि वरिष्ठ कार्यालय को जानकारी प्रस्तुत की जा सके।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

वनसंरक्षक (वन्यप्राणी)
एवं क्षेत्रीय संचालक (एलीफेंट रिजर्व)
सरगुजा, अम्बिकापुर

पृ0क्रमांक/भा.ने./माचि./21–22/ 900 अम्बिकापुर, दिनांक 26/4/2022

प्रतिलिपि :– 1. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।

2. मुख्य वनसंरक्षक सरगुजा वन वृत्त की ओर संदर्भित पत्र क्र. 03 के तारतम्य में सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वनसंरक्षक (वन्यप्राणी)
एवं क्षेत्रीय संचालक (एलीफेंट रिजर्व)
सरगुजा, अम्बिकापुर

102 DM/Ai/Memo

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)
दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/ विविध–1ए/115–852/599 दिनांक 22/03/2022

D.M.

C.F. (Wildlife)
Surguja Circle
Ambikapur (C.G.)
20/4/2022

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(वन्यप्राणी) सह. मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक
अरण्य भवन, नवा रायपुर,
अटल नगर, छत्तीसगढ़

विषय :– सुरजपुर जिले के एलिफेंट रिजर्व सरगुजा वनमंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु Chhattishgarh Infotech Promotion Society द्वारा "Forest land required for Optical Fibre Cable Laying works under "Bharat Net project which is a GOI initiative. Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPs & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466 KM. The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State.", area – 1.462 ha. – regarding

संदर्भ: 1. वन संरक्षक (वन्य प्राणी), एलिफेंट रिजर्व सरगुजा अम्बिकापुर का पत्र पृ. क्रमांक/1390/मा.चि. दिनांक 21.10.2020

2. प्र.मु.व.सं. (वन्यप्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण) सह वन्य प्राणी अभिरक्षक का पत्र क्रमांक/व.प्रा./स्टेनो/प्रबंध–511/3677 दिनांक 05.10.2021

3. छत्तीसगढ़ शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र कमांक/एफ–5–04/2022/10–2 दिनांक 14.03.2022

※※※※※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र–1 एवं 2 द्वारा एलिफेंट रिजर्व सरगुजा अम्बिकापुर अंतर्गत भारत नेट प्रोजेक्ट Phase-II के तहत् प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) द्वारा निर्धारित प्रपत्र–4 में अनुशंसा उपरांत वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संदर्भित पत्र–3 द्वारा पूर्व में प्रेषित बारनवापारा अभ्यारण्य के प्रस्ताव में निम्नानुसार बिन्दुओं पर अतिरिक्त जानकारी चाही गई है :–

1. विषयांकित प्रस्ताव में वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना मय डी.जी.पी.एस. सहित तथा शुद्ध प्रत्याशा मूल्य (NPV) जमा किये जाने हेतु आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न नही है।
2. प्रदायित प्रपत्र–4 के बिंदु क्र. 4 (vi) अनुसार आवेदित क्षेत्र एलिफेंट रिजर्व सरगुजा अम्बिकापुर के भीतर स्थित है तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) की विशेष टीप संलग्न है लेख किया गया है, किंतु प्रस्ताव में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) की विशेष टीप संलग्न नही है।
3. भारत सरकार,पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रलय, नई दिल्ली के दिशा निर्देश क्र. 5-2/2017-FC, दिनांक 28.03.2019 के साथ प्रेषित दिशा निर्देश के चेप्टर 12 के बिंदु क्रमांक 12.3 अनुसार वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत् अधिसूचित वन क्षेत्र में आप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने संबंधी गैर वानिकी कार्य की अनुमति हेतु राज्य वन्यजीव बोर्ड से दी जा सकती है परंतु सामानांतर रुप से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् अनुमति भी लिया जाना अनिवार्य है।

विषयांकित प्रस्ताव में राज्य वन्यजीव बोर्ड से अनुमति हेतु निर्धारित Part-I से Part-IV तक के निर्धारित प्रपत्र में आवेदन दिया गया है किंतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् अनुमति हेतु भारत सरकार द्वारा Forest Conservation Rules 2017 के Form A के Part-I से Part-IV तक में आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में संलग्न नही है।

4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) द्वारा प्रदायित Part-IV में Official Seal, Date of Submission दर्ज नही है तथा प्रस्ताव के Part-III के बिंदु क्र. 1, 2, 3, 7 तथा 8 में जानकारी प्रदाय नही की गई है।

5. निर्धारित प्रपत्र में संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुमोदन दिया गया है। इसमें प्रपत्र–4 के बिंदु क्र. 8 में यह प्रस्ताव राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक दिनांक 21.06.2021 में निर्णय लिया जाना लिखा है। उक्त बैठक में लिये गये निर्णय की प्रति प्रस्ताव में संलग्न नही है।

6. प्रस्ताव के प्रपत्र–4 के बिंदु क्र. 4 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) द्वारा Site Inspection संबंधी जानकारी नही दी गई है।

7. भारत सरकार,पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रलय, नई दिल्ली के दिशा निर्देश क्रमांक 6-175/2017/WL, दिनांक 19.02.2018 के शर्त क्र. 9 अनुसार राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा निम्नानुसार निर्देश दिये गये हैं :–

The State Board for Wildlife shall also suggest the time frame for completing of work of on laying of drinking water pipeline and optical fiber cables within the Pas after taking into account all the factors/issues involves in the work;

उक्त निर्देशानुसार विषयांकित कार्य संपन्न किये जाने हेतु आवेदक संस्थान बाबत् समय–सीमा का निर्धारण राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा किया गया हो तो उसका उल्लेख प्रस्ताव में किया जावे।

अतः प्रस्ताव मूलतः संलग्न प्रेषित है। छ.ग. शासन वन विभाग द्वारा अन्य प्रकरण में लिये गये आपत्ति के बिन्दु कमांक–1 से 7 तक का समावेश करते हुए संशोधित प्रस्ताव यथाशीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नः– 1. प्रस्ताव 02 प्रतियों में मूलतः
2. संदर्भित पत्र–3 की छायाप्रति

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध–1ए/115– 852/ 600 रायपुर, दिनांक 22/03/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. वन संरक्षक, (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्र संचालक, एलिफेंट रिजर्व, सरगुजा, छत्तीसगढ़।
2. उप निदेशक, एलिफेंट रिजर्व, सरगुजा छत्तीसगढ़।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन, रायपुर।

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

R. Shangeetha, I.A.S.
Secretary

Government of Chhattisgarh
Department of Commerce &
Industries and Forest
Nawa Raipur, Atal Nagar
Telephone : 0771-2510266
0771-2234110

अर्द्ध शासकीय पत्र क्र0
अटल नगर, दि013/04/2022

Dear Sir,

विषय – वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण्य के भीतर आवेदित किये जाने वाले भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने से संबंधित प्रकरणों को प्रत्याशा मूल्य एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की अनिवार्यता से छूट प्रदाय करने बाबत्।

संदर्भ – 1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 5-2/2017-FC, दिनांक 28.03.2019
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक FC-11/165/2019-FC, दिनांक 27.07.2020

——00——

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् आवेदित किये जाने वाले वन भूमि व्यपवर्तन प्रकरणों हेतु दिशा निर्देश जारी किये जाते रहे हैं।

2/ संदर्भित पत्र क्र. 1 के साथ हैण्डबुक प्रकाशित कर प्रदाय की गई है, जिसके चेप्टर 3 के बिंदु क्रमांक 3.5 (छायाप्रति संलग्न) में प्रदायित टेबल के अनुक्रमांक 4 में निम्नानुसार वर्णन दिया गया है :-

3.5 Exemption from payment of NPV

S.No.	Category	Particulars of Exemptions
4	Laying of underground optical fiber cable	Full exemption provided (a) no felling of trees is involved; and (b) area falls outside National ark/Sanctuary.

उक्त विवरण अनुसार राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण्य के बाहर आवेदित किये जाने वाले भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन के प्रकरण जिनमें वृक्ष कटाई न हो रही हो उनमें प्रत्याशा मूल्य के छूट प्रदाय की गई है किंतु उक्त छूट राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण के भीतर के प्रकरणों हेतु लागू नहीं है।

P.T.O.

3/ इसी तरह संदर्भित पत्र क. 2 (छायाप्रति संलग्न) के बिंदु क. 3 में Forest Advisory Committee (FAC) की बैठक दि. 23.04.2020 का हवाला देते हुए निम्नानुसार निर्देश दिये गये है :—

After thorough deliberation on the issue, FAC recommended that CA may not be levied in case of laying of underground Optical Fiber Cables (OFC), telephone lines, drinking water supply pipelones, electricity cables, CNG/PNG and Slurry pipelines within the RoW of existing roads (trench size not more than two meter in depth and one meter in width) not falling in National Parks and Wildlife Sanctuaries without felling of trees.

उक्त निर्देश अनुसार राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभयारण्य के बाहर आवेदित किये जाने वाले भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन के प्रकरणो को वैकल्पिक वृक्षारोपण से छूट प्रदाय की गई है किंतु उक्त छूट राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभयारण्य के भीतर के प्रकरणो हेतु लागू नही है।

4/ यहा यह उल्लेखनीय है कि, भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन के प्रकरणो मे सामान्यतः वृक्षों की कटाई अथवा पर्यावरण क्षति नगण्य होती है वही इस प्रकार के गैर वानिकी कार्य से आधुनिक संचार सुविधाओ का दूरस्थ क्षेत्रो मे विस्तार होता है, छत्तीसगढ मे इन सेवाओ से नक्सल प्रभावित क्षेत्रो से सुरक्षा एवं विकास मे भी महत्वपूर्ण योगदान होगा।

5/ अतः उपरोक्त अत्यावश्यक एवं महत्वपूर्ण सेवाओ को दृष्टिगत रखते हुए कृपया भारत सरकार द्वारा वर्तमान मे जैसे संदर्भित पत्र क. 1 एवं 2 के माध्यम से भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन के वन भूमि व्यपवर्तन प्रकरण जिनमें वृक्ष कटाई न हो रही हो उनको प्रत्याशा मूल्य तथा वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना से छूट प्रदाय करने का कष्ट करें।

R. Sangeeta 13/4/22
(आर0 संगीता)

प्रति,

वनमहानिरीक्षक
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग अलीगंज रोड,
नई दिल्ली – 110003

पृ0 अर्ध शासकीय पत्र क0 28 — अटल नगर, दिनांक 13/04/2022

प्रतिलिपि :— श्री अमृत लाल मीणा, विशेष सचिव (Logistics), भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली।

R. Sangeeta
(आर0 संगीता)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण) सह मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक, छत्तीसगढ़

सेक्टर–19, नार्थ ब्लाक, अरण्य भवन, प्रथम तल (एफ.आर.) अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

✉ cwlwcg@gmail.com (☎0771-2512880, 🖷 0771-2512881)

क्रमांक / व.प्रा. / प्रबंध–354 / 2896 नवा रायपुर, दिनांक 16 / 08 / 2021

प्रति,

1. विशेष सहायक,
   माननीय मंत्री
   वन एवं जलवायु परिवर्तन, आवास एवं पर्यावरण,
   परिवहन तथा विधि एवं विधायी कार्य विभाग
   रायपुर (छ.ग.)

2. माननीय श्री शिशुपाल सोरी,
   माननीय संसदीय सचिव,
   ई–2 / 43 सेक्टर–17, नवा रायपुर अटल नगर

3. माननीय श्री खेलसाय सिंह,
   माननीय सदस्य विधानसभा
   सी–2 / 20, आनंद नगर, रायपुर

4. माननीय श्री देवव्रत सिंह,
   माननीय सदस्य विधानसभा
   134 विला, मारूति लाईफ स्टाईल,
   मोहबा बाजार, कोटा रोड, रायपुर

5. प्रमुख सचिव,
   छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग,
   मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
   अटल नगर, रायपुर

7. पुलिस महानिदेशक,
   छत्तीसगढ़ रायपुर

8. सचिव,
   छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग
   मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर

9. सचिव,
   छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति,
   अनुसूचित जाति विकास विभाग,
   मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर

10. प्रबंध संचालक,
    छत्तीसगढ़ राज्य पर्यटन बोर्ड, रायपुर

22. श्री मोहित साहू,
पक्षी विशेषज्ञ, रायपुर

23. श्री अमलेंदु मिश्रा,
पर्यावरणविद, अंबिकापुर

24. श्री हेमंत कश्यप,
पर्यावरणविद, बस्तर

25. श्री राजेश यदु,
बलौदाबाजार

26. श्री मोईज अहमद,
नोवा नेचर वेल फेयर सोसायटी, रायपुर

27. श्री खगेश्वर नायक,
पूर्व निदेशक, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान,
भुवनेश्वर, ओडिसा

28. सुश्री नेहा सामुएल,
दुर्ग (छ.ग.)

29. डॉ. शिवाजी चौहान,
सेवानिवृत्त वन अधिकारी,
मुम्बई

विषय :– **छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की 12 वीं बैठक दिनांक 21.06.2021 का कार्यवाही विवरण प्रेषित करने बाबत्।**

संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्र क्र. 1903 दिनांक 14.06.2021.

—0—

विषयांतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन की अध्यक्षता में **"छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड"** की **12वीं बैठक** दिनांक **21.06.2021** को रायपुर में संपन्न हुई थी। उक्त बैठक का कार्यवाही विवरण सक्षम अनुमोदन उपरांत संलग्न कर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्न :– कार्यवाही विवरण।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.) एवं
सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य
वन्यजीव बोर्ड, नया रायपुर

पृ. क्रमांक / व.प्रा. / प्रबंध–354 / 2897 नवा रायपुर, दिनांक 16 / 08 / 2021

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर,
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, अरण्य भवन, नवा रायपुर छ.ग.
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय / वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़,
4. समस्त वनमण्डलाधिकारी, छत्तीसगढ़,
5. संचालक सह वनमण्डलाधिकारी, जंगल सफारी, नवा रायपुर,

छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की बारहवीं बैठक दिनांक 21 जून, 2021 का कार्यवाही विवरण

*****

छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की बारहवीं बैठक श्री भूपेश बघेल, माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन एवं अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की अध्यक्षता में दिनांक 21.06.2021 को सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित बोर्ड के सदस्यों एवं विशेष आमंत्रितों की सूची परिशिष्ट–एक में दर्शित है।

सर्वप्रथम श्री पी. वी. नरसिंग राव, भा.व.से. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ द्वारा राज्य वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, उपाध्यक्ष माननीय वनमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन एवं बोर्ड के माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया।

अचानकमार टायगर रिजर्व अंतर्गत वन्यप्राणी रहवास क्षेत्र विकास, पेयजल व्यवस्था, नरवा विकास कार्य, अग्नि सुरक्षा कार्य एवं अन्य कार्य अंतर्गत वर्ष 2021–22 में लगभग 25.80 करोड़ रूपये के विकास कार्यों का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन के करकमलों से किया गया।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड ने माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कार्यवाही प्रारंभ की जिसका एजेण्डावार विवरण निम्नानुसार है :–

एजेण्डा आयटम 12/1 :– बोर्ड की ग्यारहवीं बैठक दि. 24.11.2019 के कार्यवाही विवरण/ पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन –

छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की ग्यारहवीं बैठक दिनांक 24.11.2019 में पारित प्रस्तावों पर की गई कार्यवाही से बोर्ड को अवगत कराया गया। कार्यवाही से बोर्ड अवगत हुआ, अनुमोदन किया।

एजेण्डा आयटम 12/2 :– भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु वनभूमि के गैर–वानिकी प्रयोजन हेतु स्वीकृति–

भारत नेट परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों के ग्राम पंचायतों को दूरसंचार की आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने एवं डिजिटलीकृत किया जाना है। इस परियोजना के तहत मेसर्स छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (CHIPS) ने छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नानुसार संरक्षित क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु आवेदन कर रजिस्ट्रेशन की अनुमति मांगी है। प्रकरण का परीक्षण उपरांत पंजीयन किये जाने बाबत अनापत्ति प्रदाय की जा चुकी है। प्रकरणों की जानकारी निम्नानुसार है :–

1. गोमार्डा अभ्यारण्य अंतर्गत वन क्षेत्र 0.825 हे.
2. उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व अंतर्गत वन क्षेत्र 9.589 हे.
3. तमोर पिंगला अभ्यारण्य अंतर्गत वन क्षेत्र 1.423 हे. एवं राजस्व वन 0.39 हे. कुल 1.462 हे.

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

जावे ताकि हाथी वन क्षेत्र में ही रहें। माननीय अध्यक्ष महोदय ने चर्चा के दौरान कहा कि प्रदेश के सभी संभागों में हाथियों का विचरण हो रहा है। अतः हाथी के साथ कैसे रहा जाए इस पर कार्य किया जावे। केरल राज्य में मानव–हाथी सामंजस्य का अच्छा उदाहरण दृष्टिगोचर होता है। इस हेतु एक टीम अध्ययन हेतु केरल राज्य भेजा जावे एवं केरल के विशेषज्ञों को बुलाकर कार्यशाला आयोजित किया जावे।

{कार्यवाही द्वारा – प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी),
मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) रायपुर, बिलासपुर एवं
वन संरक्षक हाथी रिजर्व सरगुजा/
भारतीय वन्यजीव संस्थान/वाइल्ड लाइफ (SOS) संस्थान}

एजेण्डा आयटम 12/5 :– गुरूघासीदास राष्ट्रीय उद्यान एवं तमोर पिंगला अभ्यारण्य को टायगर रिजर्व घोषित करने बाबत् –

छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की ग्यारहवीं बैठक में गुरूघासीदास राष्ट्रीय उद्यान एवं तमोर पिंगला अभ्यारण्य को टायगर रिजर्व घोषित करने हेतु सर्वसहमति से प्रस्तावित है।

निर्णय के परिपालन में पूर्व में अधिसूचित गुरू घासीदास राष्ट्रीय उद्यान एवं तमोर पिंगला अभ्यारण्य के क्षेत्रों को जोड़कर कोर (CORE) क्षेत्र के रूप में तथा इस प्रस्तावित टायगर रिजर्व के चारों तरफ के सीमा से लगे हुये वन क्षेत्र को बफर क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने हेतु प्रस्तावित किया गया है। बफर जोन के अंतर्गत मनेन्द्रढ़, कोरिया, सूरजपुर एवं बलरामपुर वनमण्डलों का वन क्षेत्र सम्मिलित किया गया है।

प्रस्तावित टायगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल विवरण निम्नानुसार प्रस्तावित है:–

प्रस्तावित टायगर रिजर्व का नाम	कोर जोन में सम्मिलित क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी. में)	बफर जोन में सम्मिलित क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी. में)	योग क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी. में)
गुरूघासीदास–तमोर पिंगला टायगर रिजर्व	**2049.232**	**780.155**	**2829.387**

पारित प्रस्ताव – कार्यवाही से बोर्ड अवगत हुआ। उपरोक्तानुसार प्रस्तावित टायगर रिजर्व कुल क्षेत्रफल 2829.387 को गुरूघासीदास एवं तमोर पिंगला टायगर रिजर्व घोषित करने की अनुमति प्रदान की गई। टायगर रिजर्व में बाघों की संख्या में वृद्धि हेतु उनके रहवास विकास कार्य एवं विचरण क्षेत्र में भोजन श्रृंखला का संतुलन बनाये रखने के निर्देश दिए गए।

{कार्यवाही द्वारा – छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी),
वन संरक्षक एलीफेंट रिजर्व सरगुजा
संचालक गुरूघासीदास राष्ट्रीय उद्यान बैकुंठपुर}

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

उचित वातावरण मिलने के कारण वर्तमान में शाकाहारी वन्यप्राणियों की संख्या 84 हो गई है, जिसमें 80 चीतल, 03 नीलगाय एवं 01 चौसिंघा है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नियमानुसार शाकाहारी वन्यप्राणियों को प्रजनन केन्द्र से प्राकृतिक वनक्षेत्र में मुक्त करने की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। अतः इन वन्यप्राणियों में से कुछ वयस्क एवं स्वस्थ नर एवं मादा को राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ही स्वतंत्र रूप से विचरण करने छोड़ा जाना है।

2. **बारनवापारा अभ्यारण्य बलौदाबाजार वनमण्डल में निर्मित बाड़े में रखे गये काले हिरणों को संरक्षित क्षेत्र में मुक्त करने बाबत्–**

बारनवापारा अभ्यारण्य में शाकाहारी वन्यप्राणी की वृद्धि हेतु नेशनल जूलॉजिकल पार्क नई दिल्ली से 40 काले हिरण लाये जाकर अभ्यारण्य अंतर्गत निर्मित बाड़े में रखा गया है। वर्तमान में काले हिरणों की संख्या लगभग 70 है, इन काले हिरणों को बारनवापारा संरक्षित क्षेत्र में Prey base में बढ़ोत्तरी करने एवं काले हिरण को पुनः स्थापित करने हेतु इनमें से कुछ निर्धारित मात्रा में पूर्व में विकसित चारागाह क्षेत्रों में छोड़ा जाना है।

3. **नंदनवन जू एवं जंगल सफारी नवा रायपुर से चीतल एवं नीलगाय को संरक्षित वनक्षेत्रों में छोड़ने बाबत्–**

नंदनवन जू एवं जंगल सफारी नवा रायपुर में चीतल एवं नीलगायों की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्तमान में चीतलों की संख्या 160 एवं नीलगायों की संख्या 28 है। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित मास्टर प्लान के अनुसार नंदनवन जू एवं जंगल सफारी नवा रायपुर में रखकर शेष चीतल एवं नीलगाय को राज्य के उपयुक्त संरक्षित क्षेत्रों के प्राकृतिकवास में छोड़ा जाना है।

4. **कानन पेण्डारी जू बिलासपुर से शाकाहारी वन्यप्राणी चीतल, सांभर, नीलगाय एवं काले हिरणों को संरक्षित वन क्षेत्र में मुक्त करना–**

कानन पेण्डारी जू बिलासपुर में शाकाहारी वन्यप्राणियों चीतल, नीलगाय, सांभर एवं काले हिरण की संख्या में वृद्धि हुई है। केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली के मानक गाईड लाईन्स के अनुसार निर्धारित संख्या में शाकाहारी वन्यप्राणियों को रखते हुये अतिशेष शाकाहारी वन्यप्राणी चीतल, सांभर, नीलगाय एवं काले हिरणों को प्रदेश के संरक्षित वन क्षेत्र के उचित रहवास क्षेत्र में स्वतंत्र विचरण हेतु छोड़ा जाना है।

पारित प्रस्ताव :– शाकाहारी वन्यप्राणियों को विभिन्न प्रजनन केन्द्रों एवं अन्य स्थानों से प्रदेश के संरक्षित क्षेत्रों के प्राकृतिक रहवास में छोड़े जाने की अनुमति प्रदान की गयी।

{कार्यवाही द्वारा – प्र.मु.व.सं. (वन्यप्राणी)
क्षेत्र संचालक / उप निदेशक इंद्रावती टायगर रिजर्व जगदलपुर,
उदंती सीतानदी टायगर रिजर्व रायपुर,
अचानकमार टायगर रिजर्व बिलासपुर}

एजेण्डा आयटम 11/9 :– छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या चार गुना करने के लिए ग्लोबल टायगर फोरम (GTF) द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रियान्वयन की अनुमति बाबत–

प्रदेश में बाघों की संख्या में वृद्धि किये जाने के लिए अचानकमार टायगर रिजर्व कान्हा–अचानकमार– बांधवगढ़ कॉरिडोर का एक अहम हिस्सा है एवं बाघों के आवागमन के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस कॉरिडोर से बाघ सुरक्षित रूप से एक से दूसरे टायगर रिजर्व में निर्बाध आवागमन करते हैं। अचानकमार टायगर रिजर्व में उपयुक्त एवं वैज्ञानिक प्रबंध किया जाकर बाघों

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

1. भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत् ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने की स्वीकृति बाबत् :-

मेसर्स छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (CHIPS) द्वारा भारत नेट परियोजना के तहत छत्तीसगढ़ के समस्त जिलों के ग्राम पंचायतों को दूरसंचार एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने बलौदाबाजार वनमंडल के बारनवापारा अभ्यारण अंतर्गत ग्राम पंचायत के मार्ग के समानांतर कुल वनभूमि रकबा 1.137 हे. ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

2. उदंती–सीतानदी टायगर रिजर्व अंतर्गत जिओ डिजिटल फाईबर प्रा.लि. के द्वारा ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने बाबत् :-

धमतरी जिले के मेसर्स जिओ डिजिटल फाईबर प्रा.लि. के द्वारा छत्तीसगढ़ संचार क्रांति योजना के तहत धमतरी जिले के नगरी तहसील क्षेत्रातंर्गत उदंती–सीतानदी टायगर रिजर्व गरियाबंद वनमंडल क्षेत्र में शामिल मार्ग दोमपदर से मानपुर एवं सलना से कारीपानी के सड़क के समानांतर ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु कुल क्षेत्र 1.068 हे. वनभूमि के गैरवानिकी उपयोग करने हेतु प्रस्तावित किया गया है।

3. सी.आर.पी.एफ. कैम्प के पास बालका नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण की अनुमति बाबत्।

जिला धमतरी के विकासखण्ड नगरी के ग्राम बिरनासिल्ली सी.आर.पी.एफ. कैम्प के पास बालका नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण हेतु अनुमति बाबत् प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित किया गया है। प्रस्तावित पुल की लम्बाई–105 मी., चौड़ाई–8.40 मी., पहुंच मार्ग की लंबाई–1436 मी. एवं चौड़ाई–8.40 मी. में निर्माण कार्य करना प्रस्तावित है। यह कार्य उदंती–सीतानदी टायगर रिजर्व के अंतर्गत परिक्षेत्र सीतानदी के पश्चिम बिरनासिल्ली एवं गिधवा परिसर के कक्ष क्रमांक 353–351 में निर्माण किया जाना है।

अतः उक्त प्रस्ताव को अनुशंसा सहित राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के स्टैंडिंगकमेटी को भेजा जाना प्रस्तावित है।

पारित प्रस्ताव :- उक्त तीनों प्रस्तावों की अनुमति बोर्ड द्वारा प्रदान की गयी।

{कार्यवाही द्वारा – प्र.मु.व.सं. (वन्यप्राणी)
मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) रायपुर
व.मं.अ. बलौदाबाजार, उप निदेशक उ.सी.टा.रि. गरियाबंद}

माननीय सदस्यों से प्राप्त सुझाव :-

माननीय श्री देवव्रत सिंह, सदस्य विधानसभा – मानव–हाथी द्वंद को कम करने के लिए वनक्षेत्रों में बांस प्रजाति का अधिक से अधिक रोपण करने का सुझाव दिया गया।

श्री सुहास कुमार से.नि. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश – वन्यप्राणियों के कॉरिडोर में बन रहे गांव, खेत, खलिहान आदि का अध्ययन किये जाने, युवा टायगर को रेडियो कॉलर करने ताकि उनके विचरण का अध्ययन हो सके, कैप्टिव एनीमल को वनक्षेत्र में छोड़ने से पूर्व उसका वैज्ञानिक अध्ययन करा लिये जाने का सुझाव दिया गया।

अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशिष्ट–1

छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की 12 वीं बैठक दिनांक 21 जून, 2021 में उपस्थित माननीय सदस्यों की सूची

क्र.	नाम	पदनाम	विभाग / संस्था का नाम पता
1	माननीय श्री भूपेश बघेल	माननीय मुख्यमंत्री एवं अध्यक्ष छ.ग. राज्य वन्यजीव बोर्ड	छत्तीसगढ़ शासन
2	माननीय श्री मोहम्मद अकबर	माननीय मंत्री एवं उपाध्यक्ष, छ.ग. राज्य वन्यजीव बोर्ड	वन एवं जलवायु परिवर्तन, आवास एवं पर्यावरण, परिवहन तथा विधि एवं विधायी कार्य विभाग, रायपुर (छ.ग.)
3	माननीय श्री देवव्रत सिंह	सदस्य विधानसभा	छत्तीसगढ़ शासन
4	श्री मनोज कुमार पिंगुआ IAS	प्रमुख सचिव	छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर
5	श्री राकेश चतुर्वेदी, IFS	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख	छत्तीसगढ़ नवा रायपुर
6	श्री पी.वी.नरसिंग राव IFS	प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) सदस्य सचिव छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड	कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (व.प्रा.) छत्तीसगढ़ नवा रायपुर
वर्चुअल (ऑनलाईन) माध्यम से उपस्थित होने वाले सदस्यों की सूची			
1	माननीय श्री शिशुपाल सोरी	संसदीय सचिव	छत्तीसगढ़ शासन
2	श्रीमती अलरमेलमंगई डी IAS	सचिव	छ.ग. शासन वित्त विभाग मंत्रालय नवा रायपुर
3	श्री डी.डी.सिंह, IAS	सचिव	छ.ग. शासन, आ.जा., अनु.जा. विकास विभाग मंत्रालय नवा रायपुर
4	श्री यशवंत कुमार IAS	प्रबंध संचालक	छ.ग. राज्य पर्यटन बोर्ड रायपुर
5	श्री माथेश्वरन व्ही. IFS	संचालक	संचालनालय पशुधन विकास विभाग
6	श्री एस.सी.द्विवेदी	डी.आई.जी. सी.आई.डी	कार्यालय पुलिस महानिदेशक
7	ब्रिगेडियर प्रशांत चौहान	कमांडर COSA	छ.ग. एंड ओड़िशा सब एरिया नवा रायपुर
8	डॉ. पराग निगम	वैज्ञानिक–ई	प्रतिनिधि, भारतीय वन्यजीव संस्थान
9	डॉ. आर.पी. मिश्रा	वन्यप्राणी विशेषज्ञ	वाईल्ड लाईफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया
10	श्री सोमेन डे	प्रतिनिधि	विश्व प्रकृति निधि (छ.ग. / म.प्र.)
11	सुश्री मीतु गुप्ता	सचिव	कंजरवेशन कोर सोसायटी, बिलासपुर

कार्यालय उप निदेशक एलीफेंट रिजर्व सरगुजा अम्बिकापुर(छ.ग.)

Phone (07774) – 240987 Email id :- dders2014@gmail.com

क्रमांक....1620../मा.चि./2022/ अम्बिकापुर, दिनांक 05/07/2022

.प्रति,

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छ0ग0 ईन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स),
सिविल लाईन छ0ग0, रायपुर

विषय :– विषयांतर्गत सूरजपुर जिले के एलीफेन्ट रिजर्व सरगुजा वनमंडल अन्तर्गत वनसंरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वनभूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु Chhattisgarh infoech promotion society द्वारा " Forest Land required for Optical five cable Lying works under "Bhart Net project witch is a GOI initiative. Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPs & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32, 466 km. The laying of optical fcable of 32,466 km will involve 26 districts across the state" , area – 1.462 ha. Regarding बावत्।

सन्दर्भ :– 1. अ.प्र.मु.व.सं.छ0ग0 रायपुर का पत्र क्र0/व.प्रा./प्रबंध–511/1331 दि0 01.04.2022।
2. वनसंरक्षक(व0प्रा0) सरगुजा वृत्त अम्बिकापुर का पत्र क्र0/मा.चि./899 दि0 26.04.2022।

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, छ0ग0 शासन वनविभाग एलीफेन्ट रिजर्व सरगुजा अन्तर्गत तमोर पिंगला अभ्यारण्य अन्तर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्याय से जोड़ने वाले मार्गो के मवजूदा राइट–ऑफ–वे ऑपटिकल फाइबर बिछाने (भारत नेट प्रोजेक्ट) के प्रस्ताव पर अतिरिक्त जानकारियां प्रदाय करने हेतु लेख किया गया है। साथ ही वैकल्पिक वृक्षारोपण एवं प्रत्याशा मूल्य राशि जमा करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

अतः आप बिन्दुवार जानकारी तैयार कर 4 प्रतियों तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्न – संदर्भित पत्र की छायाप्रति।

उपनिदेशक
एलीफेंट रिजर्व सरगुजा
अम्बिकापुर(छ0ग0)

पृ0 क्रमांक/....1621..../मा.चि./2022/ अम्बिकापुर, दिनांक 05/07/2022

प्रतिलिपिः–

1. अपर प्रधान मु0व0सं0 (व0प्रा0) छ0ग0 रायपुर की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. वनसंरक्षक (व0प्रा0) सरगुजा की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

उप निदेशक
एलीफेंट रिजर्व सरगुजा
अम्बिकापुर(छ0ग0)